संख्या- 109 /2020/ 629 /चार-2020

प्रेषक ,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राम संस्कृति की विश्व यात्रा का दस्तावेजीकरण, शोध,सर्वेक्षण एवं प्रकाशन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान के पत्र संख्या- 553 दिनांक 11 मार्च, 2020 तथा शासनादेश संख्या- 168/2019/2261/चार-2019 दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रामजी से सम्बन्धित देशों में शोध की योजना इराक, इटली एवं होण्डुरास में प्राप्त संदर्भो का दस्तावेजीकरण कराये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 30.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त हेतु धनराशि रू0 15.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धनराशि रू0 5.00 लाख (रूपये पॉच लाख मात्र) की अन्तिम किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए श्री राज्यपाल आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और स्वीकृत मदों पर ही व्यय की जायेगी, अन्य मदों अथवा व्यय की नई मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी और स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उक्त आहरित धनराशि को बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि निर्धारित कार्यो को पूर्ण करने के लिए निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी एवं कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त समस्त विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि निदेशक,अयोध्या शोध संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 , दिनांक 22 मार्च, 2019 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92-के अधीन लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति- 102- कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-17-अयोध्या में विभिन्न कार्य-20 सहायता अनुदान (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-333 /दस-2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या- /2020/ 629 (1)/चार-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या फैजाबाद।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।